(दिनांक 13.02.2016 के एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016

फा.सं. 3/1/2016-नी. व यो.।, कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने के लिए **स्तर-।।** परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चुनने हेतु विभिन्न बैचों में **रविवार, दिनांक 8 मई, 2016 व 22 मई,2016 तथा** यदि आवश्यक हुआ तो तदुपरांत शनिवारों/रविवारों को **संयुक्त स्नातक स्तरीय(स्तर-।) परीक्षा, 2016,** आयोजित करेगा । प्रशासनिक/सार्वजनिक आकस्मिकता के अधीन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से पदों की विशेष श्रेणियों में अंतिम चयन संबंधित मांगकर्ता मंत्रालयों/विभाग/कार्यालय/संवर्गों से परिणामों की घोषणा से पहले रिक्तियों की निश्चित संख्या की सूचना मिलने के अधीन किया जाएगा ।

2. पदों का ब्यौरा :-

।. वेतन बैंड-।। 9300-34800/-रु.

कोड	पद	मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे वे)रु.	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक विकलांगता की प्रकृति	आयु सीमा
ए	सहायक अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा	समूह 'ख'	4600	एक बांह,एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण विकलांग	20- 30 वर्ष
बी	सहायक	केंद्रीय सतर्कता आयोग	समूह "ख"	4600		18-27 वर्ष
सी	सहायक	आसूचना ब्यूरो	समूह "ख"	4600		21-27 वर्ष
डी	सहायक	रेल मंत्रालय	समूह "ख"	4600		18 - 27 वर्ष
ई	सहायक	विदेश मंत्रालय	समूह "ख"	4600		18 - 27 वर्ष
जी	सहायक	सशस्त्र सेना मुख्यालय	समूह "ख"	4600		18 - 27 वर्ष
एच	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4600		18 - 27 वर्ष
आई	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4200		18 - 27 वर्ष
जे	आयकर निरीक्षक	के.प्र.क बोर्ड	समूह "ग"	4600	एक बांह, एक पैर, दोनो पैर, एक पैर और एक बांह, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
के	निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"		एक बांह,एक पैर, एक बांह और एक पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
एल	निरीक्षक (निवारक अधिकारी)		समूह "ख"	4600	एक पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
एम	निरीक्षक	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड				18 - 27 वर्ष

	(परीक्षक)					
एन	सहायक प्रवर्त्तन अधिकारी	प्रवर्त्तन निदेशालय राजस्व विभाग	समूह "ख"	4600	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक
ओ	उप निरीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	समूह "ख"	4200	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	20-30 वर्ष
पी	डाक निरीक्षक	डाक विभाग	समूह "ख"	4200	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष
क्यू	प्रभागीय लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह "ग"	4200	एक पैर, आंशिक बधिर /बधिर	18 - 27 वर्ष
आर	सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-।।	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	समूह "ख"	4200	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	32 वर्ष तक
एस	निरीक्षक	केन्द्रीय नारकॉटिक्स ब्यूरो	समूह "ख"	4200	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष
%	उप निरीक्षक	राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए)	समूह "ख"	4200	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक

II. वेतन बैंड-।। 9300-34800/-रु.(राजपत्रित)*

कोड	पद	मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे वे)रु.	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक विकलांगता की प्रकृति	आयु सीमा
एफ*	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय	4800	अ.वि.(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) तथा श्रवण विकलांग ।	30 वर्ष से अधिक न हो ।

* संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,2016 की योजना में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की भर्ती को सरकार के अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त होने पर शामिल किया गया है ।

III. वेतन बैंड-। 5200-20200/-रु.

कोड	पद	मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे वे)रु.	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक विकलांगता की प्रकृति	आयु सीमा
टी	लेखा परीक्षक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह , एक पैर , दोनो पैर तथा श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
यू	लेखा परीक्षक	रक्षा लेखा महानियंत्रक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
वी	लेखा परीक्षक	लेखा महानियंत्रक एवं अन्य के अधीन कार्यालय	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
डब्ल्यू	लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह,एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनो पैर, श्रवण विकलांग,	18 - 27 वर्ष
एक्स	लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार	लेखा महा नियंत्रक एवं अन्य के अधीन कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह, एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनों पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
वाई	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	के स लि से संवर्गो के अलावा केंद्रीय सरकार के कार्यालय/ मंत्रालय	समूह "ग"	2400	एक बांह, एक पैर ,दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
जैड	कर सहायक	के.प्र.कर बोर्ड	समूह "ग"	2400	दोनो पैर ,एक पैर, आंशिक	18 - 27 वर्ष

@	कर सहायक	के.उ.शु.सी.शु. बोर्ड	समूह "ग"	**2400**	बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह	20 - 27 वर्ष
$	संकलनकर्ता	भारत के महापंजीयक	समूह "ग"	**2400**	एक पैर, एक बांह आंशिक बधिर	18 - 27 वर्ष
#	उप निरीक्षक	केन्द्रीय नारकॉटिक्स ब्यूरो	समूह "ग"	**2400**	यह पद शा.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 25 वर्ष

उपयोग की गई संक्षिप्तियां: एक बांह(ए.बा.), एक पैर(ए.पै.), एक बांह और एक पैर(ए.बा.पै.), दोनों पैर(दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.), अल्प दृष्टि(अ.दृ.), आंशिक बधिर(आं.ब.),बधिर(ब.) आंशिक दृष्टिहीन(आं.दृ.), श्रवण विकलांग(श्र.वि.)

टिप्पणी I : का.एवं प्र. विभाग के दिनांक 09.04.2009 के आदेश सं. 11012/7/2008-स्था (क) के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के अंतर्गत वर्गीकृत पद निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	**पदों का विवरण**	**पदों का वर्गीकरण**
1	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :- वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रूपए के वेतनमान में 5400 रू., 4800 रू., 4600 रू. व 4200 रू.	समूह - ख
2	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :- वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रूपए के वेतनमान में 2800 रू., 2400 रू., 2000 रू., 1900 रू. व 1800 रूपए	समूह - ग

टिप्पणी II: तथापि, आयोग उपर्युक्त टिप्पणी-I में उद्धृत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार पदों के वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों और रिक्तियों के वर्गीकरण को स्वीकार करता है **।**

टिप्पणी III: नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भा.से.दा.) के हैं ।

टिप्पणी: IV: सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को, इस भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या, अभ्यर्थी का योग्यता-क्रम और किसी विशेष राज्य के लिए उसकी वरीयता के आधार पर सम्पूर्ण भारत में फैले विभाग में विभिन्न कार्यालयों के लिए आवंटित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थी, जिनके पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री अथवा वांछनीय अर्हता है, को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन, अधिमानत: वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा ।

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए एक ही आवेदन पत्र होगा । उन अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन नहीं करना होगा जिन्हें आयोग द्वारा स्तर-I परीक्षा के आधार पर लिखित(स्तर-II) परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित किया गया है । स्तर-II परीक्षा के लिए अलग से कोई विज्ञप्ति/ विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा । अर्हक अभ्यर्थियों को स्तर-II परीक्षा की तिथियों के बारे में सारे विवरण सहित सूचित करते हुए स्तर-I परीक्षा का परिणाम एम्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और आयोग की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा ।

टिप्पणी: V: रिक्तियों की सूचना उचित समय पर दी जाएगी ।

3. आरक्षण

(i) पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की निश्चित संख्या अंतिम परिणाम की घोषणा से कम से कम एक महीने पूर्व निर्धारित की जाएगी ।

(ii) *सभी श्रेणी के पदों/सेवाओं हेतु जहाँ कहीं भी लागू और स्वीकार्य हो, अनुसूचित जाति(अजा),अनुसूचित जनजाति(अजजा) अन्य पिछड़ा वर्ग(अपिव), भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) और शारीरिक रूप से विकलांग(शावि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का निर्धारण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/संवर्गों द्वारा सूचित किए गए अनुसार होगा ।*

(iii) वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी न कि समूह "ख" पदों के लिए ।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

5(क). आयु सीमा की गणना 1 अगस्त, 2016 को की जाएगी ।

(i)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 27 वर्ष है	उसका जन्म 02.8.1989 से पूर्व और 01.8.1996 के पश्चात न हुआ हो ।
(ii)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 27 वर्ष है	उसका जन्म 02.8.1989 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो ।
(iii)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 25 वर्ष है	उसका जन्म 02.8.1991 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो ।
(iv)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 21 - 27 वर्ष है	उसका जन्म 02.8.1989 से पूर्व और 01.8.1995 के पश्चात न हुआ हो ।
(v)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है	उसका जन्म 02.8.1986 से पूर्व और 01.8.1996 के पश्चात न हुआ हो ।
(vi)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है	उसका जन्म 02.8.1986 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो ।
(vii)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है	उसका जन्म 02.8.1984 से पूर्व और 01.8.1998 के पश्चात न हुआ हो ।

5(ख) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5(ग) सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा गणना की तिथि (01.8.2016) को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए है :

कोड सं.	**श्रेणी**	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1	अजा/अजजा	05 वर्ष
2	अ पि व	03 वर्ष
3	शा वि	10 वर्ष
4	शा वि + अपिव	13 वर्ष
5	शा वि + अजा / अजजा	15 वर्ष
6	**(समूह 'ख' एवं 'ग' पद के लिए)** भूतपूर्व सैनिक**(अनारक्षित /सामान्य)**	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7	भूतपूर्व सैनिक(**अपिव**)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
8	भूतपूर्व सैनिक**(अजा एवं अजजा)**	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
12	**<u>समूह 'ख' पदों के लिए</u>** केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(सामान्य /अनारक्षित)**जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(अपिव)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8 वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(अजा/अजजा)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष (5+5) वर्ष
15	**<u>समूह 'ग' पदों के लिए</u>** केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(सामान्य /अनारक्षित)**जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(अपिव)**जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी **(अजा/अजजा)** जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अनारक्षित /सामान्य)।**	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अपिव)।**	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अजा/अजजा)।**	10 वर्ष
24	**<u>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</u>** विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अनारक्षित /सामान्य)**	35 वर्ष की आयु तक

25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अपिव)**	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अजा/अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक
27	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक**(अनारक्षित / सामान्य)**	05 वर्ष
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक**(अ पि व)**	08(5+3) वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक **(अजा/अजजा)**	10 (5+5)वर्ष

5 (घ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वत: घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है ।

5 (ङ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

5 (च) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 14.03.2016)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण: भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामत: निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य नि:शक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1988 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा नि:शक्तता पेंशन दी गई है।

5 (छ) भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।

5 (ज) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने 14**.03.2016** को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को इस परीक्षा के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे **समूह 'ग' पदों पर** नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अत: ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होनें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात 14.03.2016) को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो अथवा टिप्पणी-।।। में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करेंगे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं ।

5 (झ) 1994 की अपील संख्या 731-69 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.02.1995 के निर्देश के अनुसार जनगणना से संबंधित छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए भारत के महापंजीयक के कार्यालय में केवल संकलनकर्ता के पद के लिए ही आयु में छूट निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होगी :

(i) छंटनी से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि + 3वर्ष की आयु में छूट

(ii) पूर्व सेवा का लाभ

5(ञ) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने / अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **स्तर-।। परीक्षा के पश्चात् कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाएं । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शावि/ भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों का प्रारुप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । अपिव अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर प्रस्थिति का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में 15.03.2013 और 09.09.2016 तक के बीच में जारी किए गए को ही स्वीकार किया जाएगा । **अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव / भूपूसै/ शावि दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा ।**

5 (ट) चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा । **एक आँख वाले** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन **अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे** । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की** दृष्टि विकलांगता वाले **दृष्टि विकलांग (दृ.वि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा मुहैआ किए जाने वाले **प्रलिपिक** की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र में अनुरोध किया गया हो । प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.वि. अभ्यर्थियों के समुतल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी । **ब्रेल में** प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक नहीं दिए जाएंगे ।

दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं । परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.वि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति **नहीं** दी जाएगी ।

5 (ठ) अतिरिक्त समय का प्रावधान : दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसका ब्योरा "संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 की रूपरेखा " शीर्षक के पैरा 9 के अन्तर्गत दिया गया है

6. 01 अगस्त, 2016 को आवश्यक शैक्षिक योग्यता ।

i) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

क) अनिवार्य योग्यताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री ।

ख) वांछनीय योग्यताएं : सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए चार्टरित लेखाकार अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात(वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात ।

ii) सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-।। कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री ।

अथवा

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो ।

iii) संकलनकर्ता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित के साथ स्नातक डिग्री ।

iv) अन्य सभी पद :किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समतुल्य ।

6(क) : सहायक अनुभाग अधिकारी (के.स.से.) के पदों के लिए **अनिवार्य** योग्यता के रूप में कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा भी निर्धारित की गई है ।

6(ख) **: भारत के राजपत्र के दिनांक 10.06.2015 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो ।**

6(ग) : **डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा** में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 अगस्त, 2016 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों की अंक तालिकाएं/अनंतिम प्रमाण पत्र /स्नातक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

7. <u>आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका</u> : **100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)**

अभ्यर्थी नोट करें कि http://ssconline2.gov.in और http://sscregistration.nic.in पर केवल ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा ।

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है ।

7 (i): वह अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है, वह अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से या तो ऑनलाइन तैयार किए गए चालान के रूप में अथवा भा.स्टे.बैं. नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं । शुल्क का भुगतान किसी भी क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से भी किया जा सकता है।

7 (ii) : एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा ।

8. <u>परीक्षा केन्द्र</u>

अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र में वह केन्द्र दर्शाना होगा जिसमें वह स्तर-। परीक्षा देने का इच्छुक है ।

क्र.स.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों का पता**
1.	**2.**	**3.**
1.	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206),	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
2.	गंगटोक(4001), रांची(4205), बारासात, (4402), बरहामपुर,	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.),

	(4403), चिनसुरा,(4405), जलपाईगुड़ी (4408), कोलकाता(4410), मालदा (4412), मिदनापुर(4413), सिलीगुड़ी, (4415), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), क्योंझारगढ़, (4606), संबलपुर(4609), पोर्ट ब्लेयर (4802),	कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), धारवाड़(9004), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), मैसूर (9009), कोची(9204), कोझीकोड (कालीकट) (9206) तिरूवनन्तपुरम(9211), त्रिसूर(9212),	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	अलमोड़ा(2001), देहरादून(2002), हल्द्वानी(2003), श्रीनगर(उत्तराखण्ड) (2004), हरिद्वार (2005), दिल्ली(2201), अजमेर(2401), अलवर (2402), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407) श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409),	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
5.	ईटानगर(5001),डिब्रूगढ़(5102), गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107),सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग(5401), इम्फाल(5501), चूंड़ाचाँदपुर (5502), अगरतला(5601) आइजोल(5701),	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफीड कम्प्लेक्स, वेस्ट एण्ड ब्लॉक, लास्ट गेट,बेल्टोला बशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	गुंटूर(8001), हैदराबाद(8002),कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004),तिरूपति(8006), विशाखापट्नम(8007), चेन्नई(8201), कोयम्बटूर(8202), मदुरै(8204), तिरूचिरापल्ली(8206), तिरूनेलवेली(8207), पुडुचेरी(8401),	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ई.वी.के. संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ (7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर(7203), मुम्बई(7204), नागपुर(7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208), ठाणे (7210), भण्डारा (7211), चन्द्रपुर (7212), अकोला (7213), जलगांव (7214), पणजी(7801),	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा(6003), गुना(6004), ग्वालियर(6005) इंदौर(6006),जबलपुर(6007), खण्डवा(6009), रतलाम(6011),सतना (6014), सागर (6015), अम्बिकापुर(6201), बिलासपुर(6202),जगदलपुर (6203), रायपुर(6204),), दुर्ग (6015),	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
9.	अनन्तनाग (1001), बारामूला(1002), जम्मू(1004), लेह(1005), राजौरी(1006), श्रीनगर(ज.एवं क.)(1007), कारगिल(1008), डोडा(1009), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), ,भटिण्डा(1401), जालंधर(1402), पटियाला(1403), अमृतसर (1404), चण्डीगढ़(1601)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

8 (i) : किसी भी परिस्थिति में केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे सही-सही दर्शाना चाहिए ।

8 (ii) : आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे ।

9. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए परीक्षा की रूपरेखा

परीक्षा तीन स्तरों में आयोजित की जाएगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

प्रथम स्तर - लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार)

द्वितीय स्तर - लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार)

तृतीय स्तर - कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा (जहां कहीं लागू हो)/दस्तावेज सत्यापन

9.1 आयोग के पास यह अधिकार है कि वह परीक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन कर सकता है जैसे कि टियर-I और टियर-II परीक्षा को ऑन-लाइन रीति से करना, टियर-I परीक्षा को केवल अर्हक मानना, इत्यादि ।

9.2 साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है । इसलिए साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा ।

परीक्षा की रूपरेखा:

पद	स्तर I परीक्षा	स्तर II परीक्षा	प्रवीणता/कौशल परीक्षा	कुल अंक
सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II को छोड़कर, वेतन बैंड-II 9300-34800/-रु. के अधीन पद	क. सामान्य बुद्धिमत्ता + तर्कशक्ति-50 अंक ख. सामान्य जानकारी -50 अंक ग. परिमाणात्मक अभिरूचि-50 अंक घ. अंग्रेजी परिज्ञान-50 अंक **कुल अंक : 200** अवधि : 2 घंटे दृष्टि विकलांग और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए : 2 घंटे 40 मिनट	I. परिमाणात्मक क्षमता : 200 अंक (100 प्रश्न) अवधि : 2 घंटे दृष्टि विकलांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए : 2 घंटे 40 मिनट, जहां कहीं पात्र हों । II. अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान : 200 अंक (200 प्रश्न) अवधि : 2 घंटे दृष्टि विकलांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए :2 घंटे 40 मिनट, जहां कहीं पात्र हों । **कुल अंक : 400**	कें.स.से. में केवल सहायक अनुभाग अधिकारी के पद के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (कं.प्र.प.)	600
संकलनकर्त्ता के पद को छोड़कर, वेतन बैंड-I 5200-20200/-रु. के अधीन पद	-वही-	-वही-	कर सहायक के पद के लिए प्रति घंटा 8000 की-डिप्रेशन की गति से डाटा एंट्री कौशल परीक्षा	600

सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II	-वही-	प्रश्नपत्र-I व II उपर्युक्तानुसार **400 अंक** प्रश्नपत्र-III सांख्यिकी **200 अंक(100 प्रश्न)**	--	800
संकलनकर्त्ता	-वही-	-वही-	--	800
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी समूह "ख" राजपत्रित	-वही-	प्रश्नपत्र-I व II उपर्युक्तानुसार **400 अंक** प्रश्नपत्र-IV- सामान्य अध्ययन(वित्त एवं अर्थशास्त्र) **200 अंक(अवधि : 2 घंटे)** **कुल अंक : 600**		800

टिप्पणी- स्तर I परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। स्तर-II में, प्रश्नपत्र -II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 और प्रश्नपत्र- I और प्रश्नपत्र-III में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जायेंगे।

9(क). संयुक्त स्नातक स्तरीय (टियर-I) परीक्षा :- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का स्तर-I पदों की सभी श्रेणियों के लिए एक समान होगा।

परीक्षा की तिथि	भाग	विषय	अधिकतम अंक/प्रश्न	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/ समय	दृष्टि विकलांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/समय
08.05. 2016 और 22.05.2016	क	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	2 घंटे पूर्वाह्न 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक अथवा अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	2 घंटे 40 मिनट पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.40 बजे तक अथवा अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.40 बजे तक
	ख	सामान्य जानकारी	50		
	ग	परिमाणात्मक अभिरूचि	50		
	घ	अंग्रेजी परिज्ञान	50		

टिप्पणी : प्रात: कालीन पाली में पूर्वाह्न 9.30 बजे के पश्चात और अपराह्न पाली में अपराह्न 1.30 बजे के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आयोग के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त बैचों में यह परीक्षा आयोजित कर सकता है।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। भाग क,ख और ग के संबंध में प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

निश्चयार्थ पाठ्यक्रम

परीक्षा का टियर-I

(क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला,कोडिंग एवं डिकोडिंग,विवरण निष्कर्ष,न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इसमें विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतिकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/ पैर्टन-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण,पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंत: स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य उप- विषय, यदि कोई हो तो ।

(ख) सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

(ग) परिमाणात्मक अभिरूचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्थ, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

(घ) अंग्रेजी परिज्ञान: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा ।

क,ख, और घ भागों में प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग ग में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे ।

टिप्पणी 1: स्तर I के लिए परीक्षण पुस्तिका के भाग `ग` (परिमाणात्मक अभिरुचि) और स्तर-II के प्रश्न पत्र I (परिमाणात्मक अभिरुचि) में दृ. वि. अभ्यर्थियों के लिए अलग से प्रश्न तैयार किए जायेंगे । (जिन्होंने प्रलिपिक की

सहायता के लिए विकल्प दिया है) । इस प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/सांख्यिकीय आंकड़े/ आरेख/ आकृति/ज्यामितिय समस्याओं के कोई घटक नहीं होंगे । तथापि, अन्य प्रश्न पत्रों के घटक अन्य अभ्यर्थियों के समान होंगे ।

टिप्पणी 2: आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए स्तर-। परीक्षा के प्रत्येक घटक में अर्हता के अलग-अलग अर्हता न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा । स्तर-।। परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित कट- ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे ।

टिप्पणी 3 : विभिन्न प्रश्नपत्रों, जो कि पदों के अलग- अलग समूहों के लिए विशिष्ट रूप से अपेक्षित है, के लिए स्तर-।। परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों की संवीक्षा करने के लिए **स्तर-।** परीक्षा का प्रयोग किया जाएगा । स्तर-। परीक्षा में ऐसे छांटे गए अभ्यर्थियों के अंकों को कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/डाटा एंट्री कौशल परीक्षा और अंतिम चयन के लिए भी, चुने जाते समय फाइनल रैंकिंग तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

9(ख). संयुक्त स्नातक स्तरीय (टियर-।।) परीक्षा

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2016 की टियर -।। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय होगी और दो दिन आयोजित की जायेगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय(टियर-।।) परीक्षा की संभावित तिथियां 13.8.2016(शनिवार) और 14.8.2016(रविवार) हैं ।

प्रश्न-पत्र	**विषय**	**अधिकतम अंक**	**प्रश्नों की संख्या**	**सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अवधि एवं समय**	**दृष्टि विकलांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए अवधि एवं समय**
IV	सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र)	200	बाद में अधिसूचित किया जाए	2 घंटे पूर्वाह्न 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	2 घंटे और 40 मिनट पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.40 बजे तक
III	सांख्यिकी	200	100	2 घंटे अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	2 घंटे और 40 मिनट अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.40 बजे तक
I	परिमाणात्मक अभिरुचि	200	100	2 घंटे पूर्वाह्न 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	2 घंटे और 40 मिनट पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.40 बजे तक
II	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	200	200	2 घंटे अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	2 घंटे और 40 मिनट अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.40 बजे तक

लिखित परीक्षा (टियर-II) की रूपरेखा:

9 (ख)(i) : प्रश्नपत्र । व ।। पदों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य हैं ।

9(ख)(ii) : प्रश्नपत्र ।।। केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-।। और संकलनकर्ता के पदों के लिए आवेदन करते हैं ।

9(ख)(iii): प्रश्नपत्र (IV) केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करते हैं ।

9 (ख) (IV): संकलनकर्ता तथा/ अथवा सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का पद चुनने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उपरोक्त यथा उल्लिखित अपेक्षित योग्यता है। संकलनकर्ता तथा /अथवा सांख्यिकी अन्वेषक-II ग्रेड और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का चयन करने वाले अभ्यर्थी के पास अपेक्षित पात्रता न होने की अवस्था में अभ्यर्थियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए आयोग के पास अधिकार सुरक्षित है।

9 (ग) : सामान्य अनुदेश :-

बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ओएम आर प्रकार के उत्तर पत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे । अभ्यर्थियों को उनके हित में निम्नलिखित अनुदेशों को बड़ी ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है ।

ओ एम आर उत्तर पत्रक के सभी भाग काले बॉल प्वाइंट पैन से ही भरे जाएं । पूरे ओ एम आर उत्तर पत्रक को केवल काले बॉल प्वाइंट पैन से भरा जाए । ओ एम आर उत्तर पत्रक में बॉल प्वाइंट पैन के रंग में बदलाव को प्रथम दृष्टया अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा तथा ओ एम आर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

अभ्यर्थियों को ओ एम आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, अनुक्रमांक, प्रवेश प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित परीक्षा का नाम इत्यादि, जन्म तिथि, बुकलेट क्रम संख्या संगत स्थानों पर पूर्ण व सही-सही लिखना चाहिए । अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, बुकलेट क्रम संख्या,हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के बिना अथवा इन विवरणों की अनुचित/अधूरी कोडिंग की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । इस प्रकार के विवरण/ कोडिंग में गलती को आयोग परीक्षा में अनाचार अथवा छद्मरूपण करने का प्रथम दृष्टया प्रयास मानेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त विवरणों को समुचित स्थानों पर विधिवत रूप से पूर्णतया कोडबद्ध किया गया है ।

अभ्यर्थियों से ओ एम आर उत्तर पुस्तिका, प्रवेश प्रमाण पत्र और उपस्थिति सूचियों पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाने और अपने हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाता है । उनसे उपस्थिति सूची में बुकलेट क्रम संख्या और प्रश्न पुस्तिका की क्रम संख्या लिखने का भी अनुरोध किया जाता है । अभ्यर्थियों की बिना हस्ताक्षर और बिना बाएं हाथ के अंगूठे के निशान वाली उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

यह अभ्यर्थियों के हित में है कि उन्हें परीक्षा पुस्तिका के आवरण पृष्ठ, ओ एम आर उत्तर पुस्तिका और प्रवेश प्रमाण पत्र पर दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और अति सावधानीपूर्वक इनका पालन करना चाहिए ।

9 (घ): परीक्षा के टियर-।। के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रम:

प्रश्नपत्र । परिमाणात्मक क्षमता : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतो की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्थ, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

प्रश्नपत्र ।। अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान: इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक,विलोमार्थक,वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, एक वाक्यांश, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं की कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्य के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद में वाक्यों का परिवर्तन आदि से संबंधित होंगे ।

प्रश्नपत्र - III **सांख्यिकीय** अन्वेषक ग्रेड-II सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत के महापंजीयक में संकलनकर्ता के लिए सांख्यिकीय ।

सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण- प्राथमिक और सैंकडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृति संवितरण, आवृति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति ।

केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप - केन्द्रीय प्रवृत्ति की सार्व माप - माध्य,माध्यिक, बहुलक; विभाजन मूल्य- चतुर्थक,दशमक, सैकड़ा

परिक्षेपण का माप - परिक्षेपण का सार्व माप - दूरी, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण ; साक्षेप परिक्षेपण के माप

घूर्ण,स्क्यूनेस व करटोसिस - विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप

सहसम्बद्ध एवं प्रतिक्रमण - आरेख छितराव, सामान्य सहसम्बद्ध गुणांक, सामान्य प्रतिक्रमण रेखाएं ; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसम्बद्ध, आरोपण के संगुणन का माप ; बहुविध प्रतिक्रमण ; बहुविध व आंशिक सहसम्बद्ध (केवल तीन परिवर्ती हेतु) ।

संभाव्यता सिद्धांत - संभाव्यता का अर्थ ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाएं ; प्रतिबंधित संभाव्यता ; संयुक्त संभाव्यता ; स्वतंत्र विषय ; बेयस का प्रमेय ।

यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन - यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद , पोयजन, प्रमाणक और घातांकी विभाजन ; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)

प्रतिदर्श सिद्धान्त - जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा ; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां ; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन , स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श, क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श) ; प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण) ; प्रतिदर्श आकार निर्णय ।

सांख्यिकीय अनुमान - बिंदू आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, अधिकतम संभाविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधारित परीक्षण, निश्चयी अनुमान ।

प्रसरण विश्लेषण - एक तरफा वर्गीकृत आँकड़े व दो तरफा वर्गीकृत आँकड़े का विश्लेषण ।

समय श्रृंखला विश्लेषण - समय श्रृंखला के घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम का माप ।

सूचकांक - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक,सूचकांक के प्रयोग ।

प्रश्नपत्र-IV सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के लिए ।

भाग-क: वित्त एवं लेखा(80 अंक)

1. लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत और मूल अवधारणा

वित्तीय लेखाशास्त्र : प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की परिसीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत ।

लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं, एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हानि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूँजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यह्रास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठन लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वत: संतुलन लेखा बहियां ।

भाग-ख: अर्थशास्त्र और अभिशासन-(120 अंक)

2. **भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक-सांविधानिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदायित्व ।**
3. **वित्त आयोग- भूमिका एवं कार्य**
4. **अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय**

परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं

5. **मांग और पूर्ति का सिद्धांत**

मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियन प्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच ।

6. **उत्पादन और लागत का सिद्धांत**

उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत ।

7. **बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण**

बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पाधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण ।

8. **भारतीय अर्थव्यवस्था**

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका- कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास ।

भारत की राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां । जनसंख्या- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव ।

गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव

आधारिक संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार

9. **भारत में आर्थिक सुधार**

1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश

10. **धन तथा बैंकिंग**

मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापारिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य ।

बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2003

11. **अभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका**

टिप्पणी-I: प्रश्नपत्र-I में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के, प्रश्नपत्र-II के 10+2 स्तर के और प्रश्नपत्र-III के स्नातक स्तर के होंगे ।

टिप्पणी-II : आयोग को प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों(अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/शा.वि./भूपूसै./ सामान्य (अना.) के लिए स्तर-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में तथा कुल मिलाकर सभी प्रश्न-पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा । केवल वे ही अभ्यर्थी डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर दक्षता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे जो सभी प्रश्न-पत्रों में तथा कुल मिलाकर अर्हता प्राप्त करते हैं ।

दृष्टि विकलांग (दृ.वि.) अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्र-I में परिमाणात्मक क्षमता संबंधी प्रश्नों के भिन्न सैट होंगे जिसमें मानचित्र/ग्राफ/सांख्यिकीय आंकड़े/आरेख/ चित्र/ज्यामितीय समस्याओं/पाई चार्ट इत्यादि के कोई भी घटक नहीं होंगे । तथापि , अन्य प्रश्न-पत्रों के घटक वही रहेंगे जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं ।

टिप्पणी-III : इस परीक्षा की कुंजी (KEY) के संबंध में किसी अभ्यावेदन के बारे में जहां आवश्यक हो, विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षण किया जायेगा और ऐसी अवस्था में उस मामले में मूल्यांकन संशोधित उत्तर-कुंजी(ANSWER KEY) से किया जाएगा । इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9.(ङ) कौशल परीक्षा : कर सहायकों(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर) के पद के लिए :

कम्प्यूटर पर प्रति घण्टा 8,000(आठ हजार) की-डिप्रेशन की डाटा एन्ट्री गति परीक्षा(डीईएसटी)

15(पन्द्रह) मिनटों की अवधि की 2000(दो हजार) की-डिप्रेशन "डाटा एन्ट्री गति" कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी । इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित परीक्षा केन्द्र/स्थान पर आयोग द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा । अभ्यर्थियों को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी ।

इस प्रयोजनार्थ कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा ।

कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं।कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा यथा निर्णीत आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य केन्द्रों में किया जायेगा ।

के.प्र.क.बो में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई हैं । तथापि, के.उ.शु सी. शु.बो. में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अ.वि. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा से छूट नहीं हैं । श्र.वि. और दृ.वि. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा से छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।

अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश भेजे जाएगें ।

दृ.वि.अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के समान डीईएसटी में 20मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। केवल उन्हीं दृ. वि.अभ्यर्थियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प दिया है, को ही कौशल परीक्षा के समय पद्यांश वाचक दिये जायेंगे ।

कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।

9(च). आयोग द्वारा के.स.से. के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद के आवेदकों के लिए तीन मोड्यूल अर्थात्- वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रैड शीट और स्लाइडें तैयार करने सहित कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन किया जाएगा । कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा का आयोजन इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा । कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।

के.स.से. में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद संबंधी का. एवं प्र.वि. की रूपरेखा में शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों की किसी भी श्रेणी के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा से छूट परिकल्पित नहीं है ।

अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे ।

डीईएसटी (डाटा एन्ट्री कौशल परीक्षा) और सीपीटी(कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा) संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग की वेबसाइट www.ssc.nic.in पर उपलब्ध हैं /उपलब्ध होंगे **।**

10. दस्तावेज सत्यापन :

सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेगा अन्तिम चयन हेतु उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करें। पदों से संबंधित संशोधित विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय नहीं लिया जायेगा। आवेदन पत्र में दिए गये विकल्प अन्तिम होंगे।

11(क) निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी/सीबीएन में निरीक्षक और उप-निरीक्षक) के पद हेतु शारीरिक मापदण्ड

पुरूष अभ्यर्थी

(i) शारीरिक मापदंड

लंबाई: 157.5 सें.मी. सीना: 81 से.मी. (पूरी तरह फुलाने पर न्यूनतम 5 सें.मी. के फुलाव सहित)	गढ़वालियों,असमियों,गोरखों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में लंबाई में 5 सें.मी. तक की छूट ।

(ii) **शारीरिक परीक्षा**

पैदल चलना : 15 मिनट में 1600 मीटर

साइकिल चलाना : 30 मिनट में 8 कि.मी.

महिला अभ्यर्थी

(i) **शारीरिक मापदंड(न्यूनतम)**

लंबाई: 152 सें.मी. भार : 48 कि.ग्रा.	गोरखों, गढ़वालियों,असमियों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लंबाई में 2.5 सें.मी. तक और भार में 2 कि.ग्रा. तक की छूट ।

(ii) **शारीरिक परीक्षा**

पैदल चलना : 20 मिनट में 1 कि.मी.

साइकिल चलाना : 25 मिनट में 3 कि.मी.

टिप्पणी :- निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परीक्षक और निवारक अधिकारी के पद के लिए सीबीईसी के दिनांक 20.11.2013 के पत्र सं. सी-18013/23/2013-प्रशा.।। ख के अनुसार निशक्त व्यक्तियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क में निरीक्षक उत्पाद शुल्क ,परीक्षक और निवारक अधिकारी के पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानदंडों जैसे लम्बाई,सीना एवं वजन को पूरा करना होगा । तथापि, अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट की अनुमति है :-

क. एक पैर और एक बांह और एक पैर की श्रेणियों के मामले में पैदल चलने की परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा ।

ख. एक बांह, एक पैर और एक बांह और एक पैर की श्रेणियों के मामले में साइकिल चलाने संबंधी परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा ।

11(ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मापदंड

क) **लंबाई :**

पुरूषों के लिए : 165 सें.मी.

महिलाओं के लिए: 150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

ख) **सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है)

ग) _**दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि : (चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)

दूर की दृष्टि : एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9

निकट की दृष्टि : एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

11 (ग): **राष्ट्रीय जांच अभिरक्षण में उपनिरीक्षक के पद हेतु शारीरिक मापदण्ड:**

क) **लंबाई :**

पुरूषों के लिए : 170 सें.मी.

महिलाओं के लिए: 150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

ख) **सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है)

ग) **दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि : (चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)

दूर की दृष्टि : एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9

निकट की दृष्टि : एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पद की किसी श्रेणी का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की अपेक्षाएं पूरी करते हैं । अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप(दृष्टि परीक्षण सहित) का आयोजन संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा किया जाएगा और सिर्फ वे अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए पात्र होंगे जो विनिर्दिष्ट शारीरिक मापदण्डों को पूरा करते हैं । यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो आयोग द्वारा किसी अन्य सेवा/पदों की श्रेणी के आबंटन संबंधी अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । इस प्रकार, पात्रता संबंधी मापदण्ड को पूरा करने का दायित्व पूर्णत: ऐसे पदों के लिए विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों पर ही होगा ।

12. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से(प्रलिपिक की सहायता का विकल्प देने वाले दृ वि/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को छोड़कर) प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे ।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो,भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा

अभ्यर्थियों को कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए ।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वेतार संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी और उसे तीन वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए आयोग की परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा ।

13. चयन का तरीका:

I. लिखित परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर पर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन जहां कहीं लागू हो, के पश्चात्, आयोग उन अभ्यर्थियों की प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अखिल भारतीय योग्यता सूची तैयार करेगा और आयोग द्वारा जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में अर्हक पाए जाते हैं उनकी आयोग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक पदों के लिए दिए गए विकल्प को ध्यान में रखते हुए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी ।

II. आयोग लिखित परीक्षा (जहां कहीं लागू हो) में विभिन्न पदों और उसके पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदनपत्र में विभिन्न पदों के लिए दी गई वरीयता को देखते हुए अभ्यर्थियों को योग्यता

सूची में अनुशंसित करेगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है । अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा । अभ्यर्थियों द्वारा आबंटन/सेवा के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों/कारणों से विचार नहीं किया जाएगा ।

III. अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. के अभ्यर्थी सहित जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.वि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट दी गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव और शा.वि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारिक्षत श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए हों ।

IV. शारीरिक रूप से विकलांग(अवि/श्रवि/दृवि) व्यक्ति, जो सामान्य मानकों के अंतर्गत आयोग की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के विकलांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।

V. किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./श्र.वि./दृ.वि) श्रेणी के अभ्यर्थी को आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।

VI. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

VII. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करते हों । लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी

14**. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा**(बराबरी(टाई) के मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे तरीकों को, जब तक बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता, को अपनाते हुए किया जाएगा)

i) लिखित परीक्षा में कुल अंकों को देखकर, जहाँ लागू हो ।
ii) स्तर-II परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
iii) स्तर-I परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
iv) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।
v) वर्णानुक्रम को देखकर जिसमें वर्णानुक्रम के अनुसार अभ्यर्थी का नाम पहले आए ।

15. आवेदन कैसे करें :- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाएं । आवेदन पत्र भरने से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए इस संबंध में अनुबंध-।। (क एवं ख) देखा जा सकता है ।

16. वरीयता:

यह परीक्षा विभिन्न योग्यताओं और अन्य अपेक्षाओं के साथ एक से अधिक पदों के लिए आयोजित की जा रही है । अभ्यर्थी को बड़ी सावधानीपूर्वक अपनी पद-वार वरीयता दर्शानी होगी । यदि उसने किसी भी पद के लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शायी है तो किसी भी पद के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन में एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा और इसलिए अभ्यर्थियों को उन पदों के लिए सावधानीपूर्वक विकल्प देने की सलाह दी जाती है ।

17. परीक्षा में प्रवेश:

इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को रोल नम्बर दिए जाते हैं । इस बारे में उन्हें टियर-। परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व सूचित कर दिया जाएगा । आयोग से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें । उपर्युक्त विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र(प्र.प.) में प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी जिसे अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पूर्व भेज दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा । अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने का विकल्प भी है । इस प्रकार की सुविधा परीक्षा से लगभग **एक सप्ताह** पहले तक उपलब्ध होगी ।

18 . दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई :

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए । अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।
(ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
(iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
(iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।

(v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
(vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
(vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
(viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।
(x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
(xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।
(xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना ।
(xiii) पात्रता भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है ।

19. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

21.अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :

(I) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है ।** यह परीक्षा **दो स्तर** की लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसके बाद परीक्षा की योजना के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, **कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/डाटा एंट्री कौशल परीक्षा होगी ।** अन्य के साथ-साथ पदों को उनके ग्रेड वेतन और स्तर-II परीक्षा में प्रश्नपत्रों के आधार पर तीन समूहों में रखा गया है । **आवेदन में पदों की वरीयता दर्शायी जानी है ।** अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि **पदों के लिए एक बार दी गई वरीयता अंतिम होगी । वरीयता में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।**

(II) आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए, पात्रता, श्रेणी इत्यादि की संवीक्षा (छानबीन) स्तर-I और स्तर-II परीक्षा के समय नहीं की जाएगी । इसलिए **आवेदन केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार किए जाएंगे । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व और** किसी विशेष पद के लिए अपनी वरीयता दर्शाने से पूर्व **शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पात्र हैं ।** समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां केवल स्तर-II परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/ कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय ही मांगी जाएंगीं । यदि स्तर-II परीक्षा के बाद आयोग द्वारा संवीक्षा(छानबीन) करने पर यह

पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर कर दी जाएगी । इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(III) **अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जो आयोग की वेबसाइट : http://ssc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।**

(IV) **अजा/ अजजा/अपिव/शा.वि./ भूपूसै के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं । उनके पास आवेदन के समय इस विज्ञप्ति में दिए अनुसार अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए । अपिव** अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि के भीतर जारी किया गया वैध अपिव प्रमाणपत्र हो ।

(V) केवल 40% और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही **दृष्टि विकलांग** माना जाएगा और वे **दृवि** अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे, जहाँ कहीं भी यह आरक्षण उपलब्ध है ।

(VI) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को **डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय** अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि** के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए ।

(VII) **शुल्क: एक सौ रुपए केवल(100/-रुपए)**
महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क भरने से छूट है।

(VIII) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 14.03.2016 (सायं 5:00 बजे तक),भाग-I पंजीकरण 10.03.2016 (सायं 5:00 बजे)तक तथा भाग-II पंजीकरण 14.03.2016 (सायं 5:00 बजे)तक।

(IX) अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, आनॅलाइन जमा कराया जाए । **ऑनलाइन आवेदन के लिए बहुविध आवेदनों के मामले में अंतिम आवेदन जिसके लिए भाग-। और भाग-।। पंजीकरण पूरा कर लिया गया है स्वीकार किया जाएगा ।**

(X) **परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले ,आगे कार्रवाई की जा सकती है ।**

(XI) **अभ्यर्थी** http://ssconline.nic.in पर और http://ssconline2.gov.in पर **ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना चाहिए । उन्हें आयोग में अपने आवेदन का प्रिंट आऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है । भाग-। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 10.03.2016(सायं 5.00बजे)तक और भाग-।। रजिस्ट्रेशन के लिए 14.03.2016 (सायं 5.00 बजे)तक उपलब्ध होगी ।**

(XII) **अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने/प्रस्तुत करने के संबंध में, यदि कोई आवश्यकता हो, तो स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय "हैल्पलाइन" से संपर्क कर सकते हैं :-**

(i) कर्मचारी चयन आयोग (उ क्षे), नई दिल्ली 01164715222, 01165021888, 01124363343,01124360840

(ii) कर्मचारी चयन आयोग (म क्षे) इलाहाबाद 05322460511, 09452424060

(iii) कर्मचारी चयन आयोग (द क्षे) चेन्नै 09445195946, 04428251139

(iv) कर्मचारी चयन आयोग (प क्षे) मुम्बई 09869730700, 07738422705

(v) कर्मचारी चयन आयोग (पू क्षे) कोलकाता 09477461228, 09477461229

(vi) कर्मचारी चयन आयोग (म प्र क्षे) रायपुर 09407921504, 09407921505

(vii) कर्मचारी चयन आयोग (के क क्षे) बेंगलोर 08025502520, 09483862020

(viii) कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमो क्षे) चंडीगढ़ 09915509204, 09915509331

(ix) कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षे) गुवाहाटी 09085073593, 09085015252

(XIII) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में **अपनी पहचान** का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड को मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(XIV) अभ्यर्थियों को अपनी शिकायतें, यदि कोई हैं, के जल्द निवारण के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या देने की सलाह दी जाती है। तथापि यह देना अनिवार्य नहीं है।

(XVI) प्रमाणपत्रों/अनुबंधों की फॉर्मेट के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ssc.nic.in देखें। आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेशों और आवेदन पत्र के ऑनलाइन भुगतान/उसे जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-।,।। क और ।। ख देखने की सलाह दी जाती है।

अवर सचिव (नी.व यो.-I)

आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

1.0 आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ ले । सभी प्रमाणीकृत फॉर्मेट/ अनुबंध हमारी वेबसाइट www.ssc.nic.in पर उपलब्ध है।

कॉलम 1.और 2. परीक्षा केन्द्र का नाम और कोड
परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-8 देखें

कॉलम 12.1 **आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोड**
परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 5(ग) देखें

कॉलम 13. पदों के लिए वरीयता
अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता (विज्ञप्ति का पैरा-2 देखें) को सावधानीपूर्वक दर्शाना चाहिए । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में इनमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

कॉलम 15. सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध या जोरास्ट्रियन (पारसी) से है तो यथा इंगित करें । यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी समुदाय से संबंधित है तो बाक्स में 8 लिखें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें ।

कॉलम 17 आधार संख्या, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।

कॉलम 18. डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा से आगे की शैक्षिक योग्यता :
कोडों के लिए अनुबंध- X देखें । किसी भी अन्य योग्यता के लिए '**अन्य**' (कोड-35) का प्रयोग करें ।

कॉलम 18. **विषय कोड :** कोडों के लिए अनुबंध -X देखें । किसी भी अन्य विषय के लिए '**अन्य**' (कोड सं.48)का प्रयोग करें ।
यदि अंक उपलब्ध नहीं है तो समकक्ष अंक भरे जा सकते हैं अथवा अंकों के कॉलम को खाली छोड़ा जाए ।

कॉलम 20. **डाक पता** अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपने नाम सहित पत्र-व्यवहार का पूरा पता लिखें । बॉक्स में 6 अंकों का पिन कोड लिखना न भूलें । सभी पत्राचार इस पते पर ही किए जाएंगे ।

कॉलम 21. **स्थायी पता**
अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपने नाम सहित पत्र व्यवहार का पता पूरा लिखें । बॉक्स में 6 अंकों का पिनकोड लिखना न भूलें।

22. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित है। हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा ।

महत्वपूर्ण: (i) यह सभी अभ्यर्थियों के हित में है कि वे अपना ई-मेल आई डी और मोबाइल नम्बर दें ताकि आयोग अपने विकल्प के अनुसार बुलावा-पत्र भेज सकें /ई-मेल/एस एम एस के माध्यम से लिखित परीक्षा के लिए स्थलों के बारे में सूचना भेज सकें ।

(ii) आवदेन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की कार्यविधि **http://ssconline2.gov.in और http://sscregistratoin.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।

अनुबंध-।।ख

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

1. भाग -। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 13.02.2016 से 10.03.2016 (सायं 5.00 बजे) तक व भाग-।। पंजीकरण के लिए 14.03.2016 (सायं 5.00 बजे तक)उपलब्ध होगी ।

2. वेबसाइट **http://ssconline2.gov.in** और **http://sscregistratoin.nic.in** पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं । इसके अनुदेश साइट पर उपलब्ध हैं । अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले इस विज्ञप्ति के अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ने चाहिएं । ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए । अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है । ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

भाग-। पंजीकरण
भाग-।। पंजीकरण

3. भाग । पंजीकरण में अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी । विवरण जमा करने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा ।

4. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मै सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है । उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी ।

5. उसके बाद पंजीकरण सं. वाला पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा । अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आऊट निकाल लें । भाग-।। पंजीकरण के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है । भाग ।। पंजीकरण में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है । अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की कार्य-संव्यवहार आई डी को संगत स्थानों में समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए जिसके बिना इसे भाग-। पंजीकरण के साथ संबद्ध करना संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरे होंगे यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए गए होंगे । अधूरे ऑनलाइन आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा ।

6. वे अभ्यर्थी, जो अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से या तो चालान के रूप में अथवा भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग तथा किसी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहिए । चालान फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त होंगे ।

7. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी भाग-। पंजीकरण को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है । यह अपेक्षित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और भाग-।। पंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखें ।

8. भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थी भाग-। पूरा करने के बाद सीधे भाग ।। में जा सकते हैं । अभ्यर्थी को भाग ।। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी ।

9. जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे 6 से 8 चरण को छोड़ सकते हैं ।

10. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और 4 के.बी से ज्यादा और 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

11. उसके बाद जे पी जी फोर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और 1 के.बी से ज्यादा तथा 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

12. भाग-।। पंजीकरण पूरा होने के पश्चात अभ्यर्थी ई-मेल प्राप्त करेंगे । किसी भी विसंगति होने की स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय को दिखाने के लिए ई-मेल की प्रति रख लें ।

13. **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें** ।

14. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । **आवेदन पत्र में भरे गए किसी भी विवरण में जिस भी कारण से किए गए किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन को न स्वीकार किए जाने से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।**

15. चालान की प्रति जिसके माध्यम से शुल्क का भुगतान किया गया है अथवा ऑनलाइन भुगतान के ब्यौरे अपने पास रखने चाहिए और मांगे जाने पर प्रस्तुत करने चाहिए ।

16. फोटोग्राफ के बिना अथवा धुंधला फोटोग्राफ युक्त अथवा किसी अन्य रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

<u>अनुबंध-III</u>

<u>आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 5(ग) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो 14.03.2016 को इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ__________________ रू. के वेतनमान में ____________ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं।

उनके संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 एवं/ अथवा डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर___________________

नाम ___________________

कार्यालय की मुहर _______________

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 5 (च) को देखें)

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ………… ……………………… (नंबर)…………………………………(रैंक) ……………………………………(नाम)………………………………………………(दिनांक)…………… ………………को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान: (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

अनुबंध - V

विज्ञप्ति के पैरा 5 (च) के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी, सिवाए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के प्रावधान के तहत।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं :
क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________
ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________
ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________
घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर ____________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*...................... ....

पुत्र/पुत्री...निवासी ग्राम/कस्बा* ....

जिला/संभाग*...............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..................के ....

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950...
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950...
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*..

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956............................
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
`संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती...निवासी ग्राम/कस्बा*............................जिला/संभाग*..............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.. को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... .जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो....................................... दिनांक ....द्वारा जारी..राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी............................ और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*...................... जिला/संभाग*...............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..................................में रहता है ।

हस्ताक्षर.......................

**पदनाम...................
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.................
दिनांक................
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....पुत्र/पुत्री

.... ग्राम/कस्बा ....
जिला/संभाग ....राज्य .... समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं............................ दिनांक..................* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
श्री/श्रीमती/कुO .... तथा/या उनका परिवार सामान्यत:.......... .... राज्य के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश............................
या उपायुक्त आदि...................

दिनांक:
मुहर:

---

* प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध -VIII(प्रारूप-।।)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................

दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी---------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु...... (दि./म/.व.) ....पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य.................................

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में..............................निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने........................(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ....%(अंकों में).......................प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VIII(प्रारूप-।।।)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(बहु विकलांगता के मामले में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................

दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------ -------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --

जन्म तिथि ------------------आयु...... (दि./म/.व.)

.................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली.................................डाकघर.......................जिला.............................

राज्य...............................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है । नि:शक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/नि:शक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत नि:शक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	नि:शक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में...........................प्रतिशत

शब्दों में ....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. नि:शक्तता का पुन:निर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुन:निर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।

तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणत: बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे
# उदाहरणत: एक आँख/दोनों आँखें
$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VIII(प्रारूप-IV)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप ।। एवं ।।। में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.. दिनांक.....................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी---सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --जन्म तिथि ------------------आयु......
(दि./म/.व.)
................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या...स्थायी आवास मकान नं..................................

वार्ड/गांव/गली..................................डाकघर........................जिला..............................

राज्य................................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला................**नि:शक्तता** है । नि:शक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/नि:शक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त नि:शक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	नि:शक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस नि:शक्तता को काट दे जो लागू न हो)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. नि:शक्तता का पुन:निर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ……………………..वर्ष ……………माह के पश्चात पुन:निर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र ……………….. ……………. ……………. तक मान्य रहेगा ।

तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणत: बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणत: एक आँख/दोनों आँखें

$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

अनुबंध-IX

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -11(क) के नीचे टिप्पणी देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --- पुत्र श्री--- -------ग्राम--- -----------तहसील/तालुका---जिला------------------------------------- --------राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए ------- -----------------------------(गढ़वाली, कुमांऊनी, डोगरा, मराठा,सिक्किमी) माने जाते हैं ।

* वह हिमाचल प्रदेश /लेह एवं लद्दाख क्षेत्र/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :

स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड़

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07

विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्टूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48